यूनियन बजट 2022-2023 के लिये लघु उद्योग भारती मेरठ निम्न सुझाव प्रेषित करता है-
1. विश्व मे जिन देशों में जी एस टी लागू किया गया है वहां अन्य सभी कर जो कि उद्योगों पर लागू थे सभी को जी एस टी में समावेशित कर दिये गए थे ।हिंदुस्तान में भी ऐसा ही करने का प्रयास किया गया था परन्तु कुछ कर उसमें छूट गए थे जैसे कि उद्योगों
पर स्थानीय नगर निगमों द्वारा लगाये जाने वाला गृह कर जोकि आज भृष्टाचार व उद्योगों के उत्पीड़न का एक बहुत बड़ा स्रोत बन गया है। गृह कर को जी एस टी में समायोजित किया जाना चाहिये।
2.जी एस टी की 18% वाले स्लैब को समाप्त कर
12% वाले स्लैब में बदलना चाहिये।
3.उधमियों के लिये पेंशन की योजना लाई जानी चाहिये ताकि अधिक से अधिक राजस्व देने के लिये
उद्यमियों को प्रेरित किया जा सके।
3. अधिक राजस्व जमा करने वाले उधमियों को
रेलवे, बस यात्रा व हवाई यात्रा किराये में छूट प्राप्त होनी चाहिये।

भवदीय

राज कुमार शर्मा
संभाग महासचिव
मेरठ संभाग